

न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:- रतनलाल रेगर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:- 719/2020

प्रार्थी:- मिश्रीलाल पुत्र श्री लाभुराम, जाति सुथार, निवासी शिवनगर भेड़,  
तहसील ओसियां, जिला-जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी:-

तहसीलदार ओसियां, जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित -

प्रार्थी की ओर से - अधिवक्ता श्री धन्नाराम बिश्नोई।

अप्रार्थी की ओर से - सरकारी पैरोकार।

-:निर्णय:-

दिनांक:- 12/3/22

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 35 रकबा 0.1214 हैक्टेयर गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 36 रकबा 31.1931 हैक्टेयर मौजा ग्राम शिवनगर पटवार हल्का भेड़ व खसरा नम्बर 875 रकबा 9.6396 हैक्टेयर मौजा ग्राम हनुमाननगर, पटवार हल्का भेड़ तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम मीसुराम पुत्र लाभुराम दर्ज है लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम मिश्रीलाल पुत्र लाभुराम है। राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूलवश मीसुराम दर्ज कर दिया जो गलत है। प्रार्थी के तमाम दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम मिश्रीलाल पुत्र लाभुराम दर्ज है। उक्त राजस्व रेकॉर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई है। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। राजस्व रेकॉर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिस वजह से प्रार्थी की भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत तमाम कार्य रुके हुए पड़े हैं। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में सुधारा जाता है तो अन्य खातेदारान को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 35 रकबा 0.1214 हैक्टेयर गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 36 रकबा 31


1931 हैक्टेयर मौजा ग्राम शिवनगर पटवार हल्का भेड़ व खसरा नम्बर 875 रकबा 9.6396 हैक्टेयर मौजा ग्राम हनुमाननगर, पटवार हल्का भेड़ तहसील ओसियां, जिला जोधपुर, के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम मीसुराम पुत्र लाभुराम दर्ज कर रखा है जो गलत है उसके स्थान पर प्रार्थी का वास्तविक नाम मिश्रीलाल पुत्र लाभुराम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि पटवार मण्डल भेड़ के ग्राम हनुमाननगर खसरा नम्बर 875 रकबा 9.6396 ग्राम शिवनगर ख.न. 35, 36 रकबा 31.3145 में प्रार्थी का नाम मीसुराम पि. लाभुराम हि. क्रमशः 1/18 व 1/12 दर्ज है। प्रार्थी के शपथ पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी इत्यादि में भी प्रार्थी का नाम मिश्रीलाल पि. लाभुराम जाति सुथार दर्ज है। अतः मिसुराम पि. लाभुराम के स्थान पर मिश्रीलाल पुत्र लाभुराम नाम दर्ज किया जाना उचित है।


प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम मिश्रीलाल पुत्र लाभुराम है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

--:आदेश:--

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 35 रकबा 0.1214 हैक्टेयर गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 36 रकबा 31.1931 हैक्टेयर मौजा ग्राम शिवनगर पटवार हल्का भेड़ व खसरा नम्बर 875 रकबा 9.6396 हैक्टेयर मौजा ग्राम हनुमाननगर, पटवार हल्का भेड़ तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम मीसुराम पुत्र लाभुराम के स्थान पर मिश्रीलाल पुत्र लाभुराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कमिश्नर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक...14/3/22 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

  
सहायक कमिश्नर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां